

(1819)

प्रथम

श्री अशोक नागो,
उप निदेशक
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा संख्या-2 संख्याएं
प्रति विचार नहीं दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक: 10 फरवरी, 1995

विषय:- ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल संजयनगर गाजियाबाद को सी०बी०एल०ई०
नहीं दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुपातित प्रमाण पत्र दिये जाने के
सम्बन्ध में ।

सबोध

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि ग्रीन फील्ड
पब्लिक स्कूल संजयनगर गाजियाबाद को सी०बी०एल०ई० नहीं दिल्ली से सम्बन्धता
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन
आपातित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताछटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनु-
सूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में
विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं
लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/
केसिस शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति कार दि
इंडियन स्कूल सी०बी०ई० इन्वार्सिमेंस नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि
से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः R/R
समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शि्षणोत्तर अवधारणों को राज्यीय सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अवधारणों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा
अन्य नरतों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे।

6- कर्मचारियों की सेवा में क्वाली जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचयत्र में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सहायता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय में छात्र संख्या पूर्ण है, विद्यालय में वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है । प्रत्येक शिक्षक तथा शिक्षक सहायक कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है तथा वेतनावली पर संतुष्टि उत्पन्न नही हो रही है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुष्ट या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा अनापेक्षित प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्रीक मांगुली
उप सचिव ।

पृष्ठ सं० 111/15-7-1995 तदुत्तरांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय उप शिक्षा निदेशक मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद ।

आगत है,

श्रीक मांगुली
उप सचिव ।